जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

चूरू

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 17 संख्याः 74 प्रभात चूरू, शुक्रवार 11 जुलाई, 2025 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

इण्डिया गठबंधन फूला नहीं समा रहा सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची में भारी ''रिविज़न'' की प्रक्रिया की टाइमिंग व आवश्यकता व वैधानिकता पर भारी सन्देह जताया है

- इण्डिया गठबंधन के बिहार में सभी घटक सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को, अपने आरोपों की पुष्टि मान रहे हैं, और अति उत्साहित हैं।
- बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मीडिया को सम्बोधित करते हुए कहा कि हम तो पहले ही कह रहे थे मतदाता सूची का ''रिविज़न'', राजनीति से प्रेरित है, जनमत को विकृत करके पेश करने का प्रयास है।
- तेजस्वी यादव ने यह भी कहा, कि गठबंधन पूरे वोटर लिस्ट के रिविज़न को वापस लेने के लिए संगठित अभियान चलायेगा।
- वैधानिक एक्स्पर्ट्स व राजनीतिज्ञों का मानना है, कि अब भी अगर चुनाव आयोग, संविधान के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही नहीं करता है तो जनता में भारी आक्रोश फैलेगा, न्यायालयों में और जमीन पर।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 जुलाई। बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को लेकर भारतीय निर्वाचन आयोग के विवादास्पद कदम के खिलाफ इंडिया गठबंधन को नैतिक और राजनीतिक रुप से पहली महत्वपूर्ण जीत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने, चुनाव आयोग के इस विशेष अभियान को चुनौती देने वाली कई रिट याचिकाओं की सुनवाई करते हुए, इस पुनरीक्षण प्रक्रिया की आवश्यकता और वैधता पर गंभीर संदेह व्यक्त किया। यह एक ऐसा घटनाक्रम है, जिसने राज्य के सभी विपक्षी दलों को उत्साहित कर दिया है।

हालाँकि गठबंधन को इस बात की भी चिंता है कि चुनाव आयोग देश के सभी राज्यों में इसी तरह का विशेष गहन पुनरीक्षण करने जा रहा है, जिसमें बिहार के बाद सबसे पहले पश्चिम बंगाल आएगा, जहाँ अगले वर्ष की शुरुआत में चुनाव होने हैं। इंडिया गठबंधन के सूत्रों ने कहा कि यह घटनाक्रम विपक्षी दलों को एकजुट होने को बाध्य कर देगा और हर उस हमले का सामना करना पड़ेगा, जो उनकी नज़र में भाजपा को मजबूत कर रहा है।

सुप्रीम कोर्ट की बैंच, जिसमें न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची शामिल थे, ने विशेष रूप से एक चुनावी राज्य में पुनरीक्षण अभियान चलाने के औचित्य और समय पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों – राष्ट्रीय जनता दल (राजद), कांग्रेस, भाकपा, भाकपा (माले), मार्कपा और अन्य – ने स्वागत किया है, जो लगातार चुनाव आयोग पर यह आरोप लगाते रहे हैं कि वह सत्तारूढ़ भाजपा–नेतृत्व वाले एनडीए के पक्ष में मतदाता सूची में हेरफेर करने के लिए राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है।

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, ''सुप्रीम कोर्ट ने हमारे रुख को सही ठहराया है। मतदाता सूची पुनरीक्षण एक राजनीतिक चाल थी, जिसका उद्देश्य जनता के जनादेश को विकृत करना था। इस असंवैधानिक कदम के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम बिहारवासियों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए जन आंदोलन को और तेज करेंगे।''

इंडिया गठबंधन के सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि राज्य में सभी विपक्षी दलों की एक संयुक्त बैठक शीघ्र ही बुलाई जाएगी, जिसमें भविष्य की कार्य योजना तैयार की जाएगी। गठबंधन, संभवतया पुनरीक्षण अभियान को पूरी तरह से रद्द करने की मांग करेगा और चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए हस्तक्षेप की भावना का सम्मान

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कनिष्ठ अभियंता पेपर लीक में फरार आरोपी गिरफ्तार

जयपुर, 10 जुलाई। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की टीम ने कार्रवाई करते हुए कनिष्ठ अभियन्ता भर्ती परीक्षा 2020 पेपर लीक मामले में फरार चल रहे एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपित से पूछताछ की जा रही है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एटीएस और एसओजी) ने बताया कि कनिष्ठ अभियन्ता भर्ती परीक्षा वर्ष 2020 के पेपर लीक मामले में फरार आरोपित महेन्द्र गहलोत (37) निवासी विवेक विहार (जोधपुर) को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपित महेन्द्र गहलोत पूर्व में गिरफ्तार उदा राम बिश्नोई का प्रमुख सहयोगी रहा है।

- एसओजी ने फरार आरोपी महेन्द्र गहलोत को जोधपुर से गिरफ्तार किया।

कनिष्ठ अभियन्ता भर्ती परीक्षा 2020 का पेपर परीक्षा से पूर्व लेने के लिये उदा राम व महेन्द्र गहलोत में प्रति अभ्यर्थी 12 लाख रुपयों में पेपर पढ़ाने का सौदा हुआ था। आरोपित उदा राम ने अपने वाट्सअप नम्बर से महेन्द्र गहलोत के वाट्सएप नम्बर पर परीक्षा पूर्व पेपर भेज दिया था। यह पेपर आरोपित महेन्द्र गहलोत ने आगे अपने अभ्यर्थियों को पढ़ाया था। इस प्रकार आरोपित महेन्द्र गहलोत ने अन्य अभ्यर्थियों से नकद धनराशि प्राप्त कर परीक्षा पूर्व पेपर पढ़ाया गया। गिरफ्तार महेन्द्र गहलोत से इस भर्ती परीक्षा के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र और, राशन कार्ड को जायज़ प्रमाण माना जाना चाहिए'

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग का यह तर्क रद्द किया कि ये दस्तावेज वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने के लिए जायज़ दस्तावेज़ ही नहीं हैं

- सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से वोटर लिस्ट के रिविज़न के खिलाफ दस चायिकाएं स्वतः ही वापस ले ली जायेंगी, ऐसा माना जा रहा है।
- याचिका दायर करने वाले विपक्ष के नेता, एक्टिविस्ट, एन.जी.ओ. ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया, और अब स्टे की मांग भी नहीं उठाई।

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 10 जुलाई। चुनाव आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण में आधार कार्ड को अमान्य बताने के दावे को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बैंच ने आदेश दिया कि बिहार में चल रहे चुनाव पूर्व मतदाता पुनरीक्षण में आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाए।

विपक्षी नेताओं, कार्यकर्ताओं, गैर–सरकारी संगठनों और वकीलों द्वारा दायर इस मामले में 10 से अधिक याचिकाएं इस मामले दायर की गई थीं। उन्होंने अदालत के आदेश का स्वागत किया पर किसी अंतरिम रोक की मांग नहीं की। अगली सुनवाई 28 जुलाई को तय की गई है।

याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि बिहार में यह प्रक्रिया चुनाव के बिल्कुल पास और बेहद लापरवाही से की जा रही है। साथ ही उन्होंने यह बिन्दु भी उठाया कि आधार वैध दस्तावेज नहीं माना गया है।

चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण करना उसके संवैधानिक अधिकारों के दायरे में है, और यह प्रक्रिया पूरे देश में लागू की जाएगी।

न्यायमूर्ति बागची ने बिहार में चुनाव से कुछ ही महीने पहले पुनरीक्षण प्रक्रिया की समय–सीमा पर सवाल उठाया।

याचिकाकर्ता इस समय मतदाता पुनरीक्षण पर अंतरिम रोक की मांग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ड्राफ्ट मतदाता सूची अगस्त में प्रकाशित होनी है और अगली सुनवाई 28 जुलाई को होनी है।

चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने आधार को शामिल न करने के कई कारण दिए और कहा कि मतदाता सत्यापन के लिए 11 दस्तावेजों की सूची दी गई है, जो अंतिम नहीं है।

लेकिन पीठ ने कहा कि यदि सूची अंतिम नहीं है, तो न्याय के हित में चुनाव आयोग को आधार, वोटर आई डी कार्ड और राशन कार्ड को मान्य दस्तावेज मानना चाहिए। आदेश में कहा गया कि इससे अधिकांश याचिकाकर्ताओं की चिंता का समाधान हो जाएगा।

द्विवेदी ने आपत्ति जताई, लेकिन जस्टिस धूलिया ने कहा कि वह इन

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'हमने ''उदयपुर फाइल्स'' के बारे में कोई आदेश पारित नहीं किया'

सुप्रीम कोर्ट ने, कपिल सिब्बल के मौखिक प्रश्न के जवाब में कहा, ''हमने तो केवल ''अर्जेन्ट सुनवाई'' न करने की असमर्थता जाहिर की है''

- जैसा कि विदित ही है, सुप्रीम कोर्ट में कन्हैया लाल हत्याकाण्ड के आरोपित मोहम्मद जावेद ने ''उदयपुर फाइल्स'' फिल्म की रिलीज़ पर, स्टे की मांग की थी सुप्रीम कोर्ट में। जावेद का तर्क था, कि फिल्म के सार्वजनिक रिलीज़ होने से उनको भय है कि उनका मुकदमा प्रभावित होगा।

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 10 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि उसने फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया है, बल्कि बुधवार को जब यह मामला ''मैन्शन'' (उल्लिखित) किया गया, तब केवल तत्काल सुनवाई से इन्कार किया गया था।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, जो जमीयत उलेमा–ए–हिंद की ओर से पेश हुए, ने गुरुवार को दोपहर 1 बजे इस मामले को न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ के समक्ष मौखिक रूप से उठाया। उन्होंने कहा कि कोर्ट द्वारा मामले को तुरंत सूचीबद्ध करने से इन्कार करने की रिपोर्ट्स के कारण दिल्ली हाईकोर्ट, फिल्म रिलीज़ के विरूद्ध जमीयत की याचिका पर आदेश देने से हिचकिचा रहा है। यह फिल्म शुक्रवार, 11 जुलाई को देशभर में रिलीज़ होने वाली है।

सिब्बल ने कहा, मैंने याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की थी। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने मुझसे कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जिसकी न तो सुनवाई हुई है और न ही उसे सूचीबद्ध किया गया है। आपकी ओर से केवल मौखिक टिप्पणी की गई थी।

इस पर न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा, हमने तो सिर्फ यह कहा था कि हम इसे तत्काल सुनवाई के लिए नहीं ले रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका मोहम्मद जावेद नामक व्यक्ति द्वारा दायर की गई है, जो कन्हैयालाल हत्या मामले का आरोपी है। उसने फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग की है, यह तर्क देते हुए कि फिल्म उसकी निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन करेगी।

बुधवार को कोर्ट ने फिल्म की रिलीज़ (11 जुलाई) से पहले इस मामले को तुरंत सूचीबद्ध करने से मना कर दिया था और वकील से कहा था कि अगले सप्ताह, जब अदालत फिर से

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को उम्र कैद

जयपुर, 10 जुलाई। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग को डरा धमकाकर अपने साथ ले जाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त नागेश को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने 22 वर्षीय इस अभियुक्त पर

- अभियुक्त नाबालिग पीड़िता को डरा धमकाकर ले गया तथा नशीला जूस पिलाकर उसे बेहोश कर उसका अपहरण कर लिया।

3.25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी केसी अटवासिया ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान में नाबालिगों के खिलाफ अपराध में दिन–प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर न केवल उसे शारीरिक क्षति पहुंचाई, बल्कि उसे जीवनभर दुख देने वाला मानसिक आघात भी दिया। ऐसे

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'हम चुनाव आयोग की पावर को नहीं बल्कि मतदाता सूची पुनरीक्षण की टाईमिंग को चैलेंज कर रहे हैं'

मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ याचिका दायर करने वालों के वकील शंकर नारायणन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

- एक अन्य याचिकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने कहा, चुनाव आयोग यह कहने वाला कौन है कि हम नागरिक हैं या नहीं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना चुनाव आयोग की कार्यवाही समस्या नहीं है समस्या तो टाईमिंग की है।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पैशल इन्टैन्सिव रिविज़न/एस.आई.आर.) को लेकर चुनाव आयोग के कदम में तर्क और व्यवहारिकता है, लेकिन चुनाव से कुछ महीने पहले इस प्रक्रिया को शुरू करने के समय पर सवाल उठाए।

चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा, ''जो वे कर रहे हैं, वह संविधान के तहत उनका दायित्व है। इसमें व्यवहारिकता है। उन्होंने तारीख इसलिए तय की, क्योंकि कंप्यूटरीकरण के बाद यह पहली बार हो रहा है। इसलिए इसमें एक तर्क है।''

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि मतदाता सूची से गैर–नागरिकों को हटाने के लिए गहन पुनरीक्षण करने में कुछ भी गलत नहीं है।

अदालत ने कहा, ''आपकी (चुनाव आयोग) प्रक्रिया समस्या नहीं है, समस्या इसका समय है।

अधिवक्ता शंकर नारायणन, जो याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हो रहे थे, ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह से मनमाना और भेदभावपूर्ण बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे चुनाव आयोग की शक्ति पर नहीं, बल्कि इस प्रक्रिया के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं।

उन्होंने कहा, ''वे कह रहे हैं कि 2003 से पहले अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में था, तो माना जाता था कि वह भारत का नागरिक है। लेकिन 2003 के बाद, भले ही किसी ने पांच बार वोट डाला हो, फिर भी यह नहीं माना जायेगा कि वह नागरिक है, अब वह शक के दायरे में आ सकता है, अर्थात अब यह भरोसा नहीं किया जा रहा कि वोट डालना यह साबित करता है कि आप भारतीय नागरिक हैं।''

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, जो याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित थे, ने कहा: ''वे (चुनाव आयोग) कौन होते हैं यह कहने वाले कि हम नागरिक हैं या नहीं? यह भार उन पर है, हम पर नहीं। उनके पास यह कहने का कोई साक्ष्य होना चाहिए कि मैं नागरिक नहीं हूं।''

दिल्ली एनसीआर में भूकम्प के झटके

नयी दिल्ली, 10 जुलाई। दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गुरुवार पूर्वाह्न नौ बजकर पांच मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किये गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.4 मापी गयी।

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केन्द्र के अनुसार, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, जींद, रोहतक, भिवानी, झज्जर, बहादुरगढ़ समेत कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केन्द्र हरियाणा के झज्जर में था। भूकंप से कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आयी है।

दिल्ली–एनसीआर में बुधवार रात से तेज बारिश, जाम एवं जलभराव झेल रहे लोग आज सुबह भूकंप के तेज झटकों से सहम गए। लोग डरकर घर से बाहर निकल आए।

- सुबह 9 बजकर 5 मिनट पर झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 4.4 तीव्रता के इन झटकों का केन्द्र हरियाणा का झज्जर था।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया पोस्ट कर सभी के सुरक्षित होने की उम्मीद की है। उन्होंने लिखा कि उम्मीद है कि भूकंप के बाद सभी सुरक्षित होंगे। सभी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं।

दिल्ली पुलिस ने भी भूकंप को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें लिखा कि आज सुबह दिल्ली–एनसीआर में आए भूकंप से अभी तक किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। हम सभी दिल्लीवासियों की कुशलता की कामना करते हैं।

वडोदरा पुल हादसे में मृतकों की संख्या 18 हुई

वडोदरा, 10 जुलाई। गुजरात में वडोदरा जिले के पादरा क्षेत्र में महिसागर नदी पर बने मुजपुर–गंभीरा पुल के अचानक ढ हने से मृतकों की संख्या बढ़ कर 18 हो गयी है।

सरकारी सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि पादरा के पास मुजपुर–गंभीरा पुल पर बुधवार को हुई दुर्घटना में राहत और बचाव कार्य आज भी युद्धस्तर पर जारी है। इस घटना में अब तक 18 लोगों शव नदी से बरामद किये गये हैं और अन्य नौ लोग घायल हो गये थे। घायल नौ में से पांच घायलों को पादरा सीएचसी और वडोदरा एसएसजी अस्पताल में भर्ती कराया गया

- सरकारी सूत्रों ने कहा, राहत बचाव कार्य जारी हैं अब तक 18 शव मिल चुके हैं, हादसे में 9 लोग घायल हुए हैं।

था, जबकि चार घायलों को उपचार के बाद कल और दो लोगों को आज छुट्टी दे दी गयी तथा तीन का उपचार अभी जारी है।

इस घटना के बाद राहत और बचाव के लिए 20 से अधिक अग्निशमन कर्मी, एक एनडीआरएफ टीम, एक एसडीआरएफ टीम, दो फायर बोट, तीन फायर टेंडर, 10 से अधिक एम्बुलेंस और पांच से अधिक मेडिकल टीमें घटनास्थल पर काम कर रही हैं। जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, विधायक चैतन्य सिंह झाला और प्रांतीय अधिकारी मौके पर पहुंच गये हैं और राहत एवं बचाव कार्यों के संबंध में आवश्यक निर्देश और मार्गदर्शन दे रहे हैं।

2025 में छठी यात्रा पर बिहार आ रहे हैं प्र.मंत्री मोदी

मोदी तोहफों का पिटारा खोलेंगे तथा साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नई स्कीम, रियायतें, सड़कों की घोषणाओं की बारिश कर रहे हैं, चुनाव के पहले

- इस सबके बावजूद प्रशांत किशोर, जो दो साल से बिहार की पद यात्रा पर निकले हुए हैं, को भी हल्का नहीं माना जा सकता, नवम्बर के विधानसभा चुनाव में। वे ''किंग'' नहीं तो ''किंग मेकर'' की भूमिका में तो रहेंगे ही, ऐसा आज माना जा रहा है बिहार में। पर चुनाव अभी कुछ महीनों बाद हैं, अतः कोई पक्की बात कहना सम्भव नहीं लग रहा।

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 जुलाई। बिहार में चुनाव का समय है और, पूर्वानुमान के अनुसार, राजनीतिक नेता राज्य की ओर रुख कर रहे हैं और सरकार के खजाने का ढक्कन खोला जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 18 जुलाई को बिहार के मोतिहारी आ रहे हैं। पिछले 28 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी की दूसरी बिहार यात्रा है। वर्ष 2025 को देखें तो वे छठी बार बिहार आ रहे हैं। मोदी मोतिहारी में एक वित्तीय पैकेज की घोषणा करेंगे, जिसका विशेष फोकस महिलाओं के कल्याण पर होगा।

जेडीयू नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को एक कैबिनेट बैठक में राज्य की महिलाओं तक पहुँचने की कोशिश की और राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अब तक, महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध तो था, लेकिन राज्य के बाहर की महिलाएँ भी इसके लिए पात्र थीं। अन्य कई योजनाओं की घोषणा भी की गई: मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना की शुरुआत, जिसके तहत बीपीएससी और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले दिव्यांगजनों को रु. 50,000 से रु. 1,00,000 तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी; जीविका को–ऑपरेटिव बैंक के लिए राज्य सरकार की हिस्सेदारी के रूप में 105 करोड़ रुपये की मंजूरी; सिंचाई के लिए डीज़ल सब्सिडी में 100 करोड़ रुपये की राशि; मुजफ्फरपुर के कुढ़नी ब्लॉक में डॉ. अंबेडकर रेज़िडेंशियल स्कूल की स्थापना और कैमूर के मसानी व कोल्हुआ में 720 बैड वाले दो सरकारी आवासीय विद्यालयों का पुनर्निर्माण। राज्य सरकार ने समस्तीपुर, मधेपुरा, पश्चिम चंपारन, गोपालगंज, सहरसा और मधुबनी सहित, कई जिलों में अनेक सड़कों को चौड़ा और मजबूत करने की योजना की भी घोषणा की है। लेकिन एनडीए के सामने एक समस्या है: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू के खिलाफ अब और ज्यादा तेज सत्ता विरोधी भावना पनप रही है। कुमार ने अपने अजीब व्यवहार और अटपटे बयानों के कारण अपनी स्थिति को और खराब कर लिया है, जिससे उनकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर उल्टी–सीधी अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच, बीजेपी और जेडीयू के बीच खींचतान भी चल रही है, और ये अटकलें पुख्ता हो रही हैं कि एनडीए की जीत की स्थिति में कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा।

हालाँकि अभी चुनाव में समय है, लेकिन प्रशांत किशोर के प्रभाव को नज़रअंदाज़ करना भी गलत होगा। किशोर ने, अपनी जन सुराज पार्टी के माध्यम से, पिछले दो वर्षों में राज्य में गहन पदयात्रा की हैं और लगभग सभी जिलों में अपना नैटवर्क स्थापित कर चुके हैं। यदि किशोर 'किंग' नहीं बने, तो नवंबर चुनावों के बाद 'किंगमेकर' जरूर बन सकते हैं।